भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1178
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

1178. श्री आयनुर मंजूनाथाः

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या संबंधित राज्य में नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्ति हेतु आने वाने आवेदनों की काफी लंबे समय के बाद निपटाया जा रहा है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और
(घ) नोटरी पब्लिक की नियुक्ति से आम आदमी को किस सीमा तक लाभ होगा तथा इससे विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में लंबित मामलों में कितनी कमी आएगी ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (ग) : जी नहीं, नोटेरी नियम के नियम 6 के अधीन नोटेरियों की नियुक्ति के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों की संवीक्षा की जाती है । संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद या उस क्षेत्र में जहां आवेदक व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है विधिक संगम या अन्य प्राधिकारी से प्राप्त प्रत्येक आवेदन की बाबत आक्षेप यदि कोई हों अभिनिश्चित किए जाते हैं । राज्य विधिज्ञ परिषद से यह पुष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या उक्त अधिवक्ता आवेदक उनके द्वारा रखी गई अधिवक्ताओं की नामावली पर अभी भी है, और उसके विरूद्ध कोई आचार कार्यवाही लंबित नहीं है । प्रत्येक आवेदक से यह अनुरोध किया जाता है कि वह एक शपथपत्र प्रस्तुत करे जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा

अनुप्रमाणित हो । नियम 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक के नाम जिनका आवेदन साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए उनको अनुज्ञात करने हेतु सभी बाबत पूर्ण पाए जाते हैं, की सिफारिश करते हुए समुचित सरकार को एक रिपोर्ट देता है । साक्षात्कार बोर्ड प्रत्येक राज्य के अधीन नियम 7क के अधीन गठित किए जाते हैं । संबंधित राज्यो के लिए साक्षात्कार वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 2009 से नोटेरी नियमों का संशोधन करने के पश्चात् नोटेरियों के नियुक्ति में बेहतर पारदर्शिता के लिए साक्षात्कारों की प्रक्रिया आरंभ की है । ऐसे आवेदकों का, जिन्होंने दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए 31.5.2012 तक आवेदन किया था, पहले ही साक्षात्कार हो गया है ।

(घ) : नोटेरियों तक साधारण जनता द्वारा उसके पास लाए गए दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता के लिए जिला, ताल्लुक, तहसील और उपतहसील में साधारण व्यक्ति की सहज पहुंच है । तथापि, नोटेरियों को न्यायालयों में लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है ।